## न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 24 / 2022

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. भवानीप्रताप सिंह<br>2. मनवीर सिंह<br>3. शुरवीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह<br>निवासी– जाम्बा तहसील बाप | | 1. मोहनराम पुत्र बीरबलराम विश्नोई निवासीगण जाम्बा तहसील बाप वगैराह कुल 27 पक्षकार रेस्पोडेन्ट |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी बाप के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92 / 2020 मोहनराम वगैराह बनाम भंवरलाल वगैराह में आदेश दिनांक 26.07.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

### निर्णय

दिनांकः07 फरवरी, 2022

1. अपीलान्टगण ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92 / 2020 मोहनराम वगैराह बनाम भंवरलाल वगैराह में दिनांक 26.07.2021 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ता दस के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम जाम्बा में आई हुई ख0सं0 147 रकबा 70 बीघा, ख0सं0 147 / 1 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा, ख0सं0 147 / 2 रकबा 42 बीघा, ख0सं0 147 / 3 रकबा 42 बीघा, ख0सं0 155 रकबा 110 बीघा 3 बिस्वा भूमि आई हुई है। जिसके पडौसी में हम खातेदारो के खेत ख0सं0 157, 53 59, 145, 146, 48, 211 के मध्य में आपस में विवाद होता रहता है जिस विवाद को समाप्त किये जाने हेतु ख0सं0 147 से 143 व 55 का सीमाकंन किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक ता 10 के

प्रार्थना पत्र पर फर्द पैमाइश दिनांक 1.7.20 को तैयार हुई। उक्त प्रार्थना पत्र पर हम अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया कि सभी सहखातेदारों की व पडौसी खातेदारों की उपस्थिती में पत्थरगढी की जावे। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.07.2021 को रेस्पो0 संख्या एक ता दस के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने आदेश पारित किया। जिससे अपीलान्टस व्यथित होने से अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की ओर से राजस्व नक्शें के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया परन्तु बिना राजस्व नक्शे के ही पत्थरगढी व नेखमबन्दी किये जाने का आदेश दे दिया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्अ को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न हीं कोई सहमति दी थी। अपीलार्थीगण एवं अन्य पडौसी खातेदारों के खेत का माप किये बिना पत्थरगढी नहीं की जा सकती और न मौका परिवर्तन किया जा सकता है।

4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा हम अपीलान्टस को नहीं दी गई। मौके पर जब पटवारी हल्का के द्वारा पत्थरगढी करने हेतु उपस्थित हुए तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनकों हुई है। ऐसे में अपील को अन्दर म्याद शुमार की जावे तथा अपील को स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्टगण के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्टगण ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम जाम्बा के रेस्पो0 संख्या एक ता 10 के ख0सं0 147 रकबा 70 बीघा, ख0सं0 147/1 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा, ख0सं0 147/2 रकबा 42 बीघा, ख0सं0 147 /3 रकबा 42 बीघा, ख0सं0 155 रकबा 110 बीघा 3 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु रेस्पो0 के द्वारा जो आदेश प्राप्त किया जिसमें अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

Sd/- 7/21 2022

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता के उक्त कथनो/आपत्ति बाबत अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की उपरोक्त प्रकरण की आदेशिका की प्रतियों का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 16.07.2021 में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी ओर से यह सहमति दिया जाना कि सभी सहखातेदारों तथा पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में उनको सूचित करते हुए पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बाप द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने जवाब में भी मौका फर्द 7.1.2020 के अनुसार उक्त खसरान की पत्थरगढी कार्यवाही प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायलय के अपीलाधीन आदेश में भी अन्तिम पैरा में उक्त पत्थरगढी कार्यवाही पूर्व में बनाई गई मौका फर्द दिनांक 1.7.2020 अनुसार ही वादग्रस्त खसरान भूमि की पत्थरगढी पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में किये जाने हेतु तहसीलदार बाप को निर्देशित किया गया है। ऐसे में समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश में हस्ताक्षेप की आवश्यकता हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टर सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 7 फरवरी 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर